The main features of the proposed Kisan Mandi at Delhi are as follows:

- KM will act like a wholesale mall of F&V, where stalls will be allotted to various FPOs/Grower Associations (GAs) by SFAC. Some dry and cold storage space will also be provided to each allottee to keep their produce.
- KM will be established at Alipur, New Delhi.
- KM will have approximately 25,000 Sq. feet of covered area for stalls and warehousing. The KM premise will also have facility of transit cold storage space and other utilities.
- Target customers: Organized retailers, hotels, restaurant and catering (HORECA), large vendors, exporters, processors, RWAs, general public.
- KM will offer basic infrastructure for storage to the FPOs/GAs who set up stalls in the KM. This will include basic godowns, cold store as well as logistics handling facilities.
- SFAC will encourage FPOs/GAs to set up sorting, grading and packing facilities near the farmgate so that only sorted, graded and packed or semi-packed products are available at KM.
- KM will organize promotional activities, buyer-seller meet, publicity etc. to attract buyers and build the KM brand.
- Strong ICT backed sale platform for online sales, transparent, price discovery, logistics tracking etc will be developed.
- SFAC targets to ensure the participation of 25 – 30 FPOs /GAs in the first phase of the KM (i.e. the first year).

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

For more details, please contact
Small Farmers Agribusiness Consortium
(Dept. of Agriculture and Cooperation, Govt. of India)
NCUI Auditorium Building, 5th Floor,
3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, New Delhi 110016
Email: sfac@nic.in, Website : www.sfacindia.com

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

ESTABLISHMENT OF KISAN MANDI AT DELHI

दिल्ली किसान मण्डी

A brief backgrounder

Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC) is a registered Society under the administrative control of Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India. Its mandate is to link farmers to investment, technology and markets. SFAC has promoted over 300 Farmers Producer Organisations (FPOs) across the country. These bodies are member owned grassroots institutions, which provide collective bargaining power to small and marginal farmers. Over 5.00 lakh farmers are member of FPOs supported by SFAC.

Delhi : Fruits and Vegetable (F&V) Marketing Scenario

The F&V study for Delhi/NCR conducted by SFAC in 2013 revealed that there are vast opportunities for wholesale supply of F&V in Delhi. Some of the main highlights of the survey report are as under:

- Delhi NCR has an approximate population of 22 million, consisting of 16 million population of Delhi and 6 million population of NCR;
- Major part of F&V supply to Delhi is organised through regulated markets of Delhi State Agricultural Marketing Board (DSAMB). There are five regulated F&V markets in Delhi, namely Azadpur, Okhla, Keshopur, Shahdara, Gazipur.
- Small part of F&V is also procured by retailers directly from farm gate/own collection centre, however this is miniscule in comparison to total arrival;
- There is no organised scaled-up system for direct marketing of F&V by producers in Delhi market.
- Delhi, receives on an average approx. 11000 – 13000 MT of F&V daily;
- Fruits and vegetables share in total arrival constitutes around 50% each;
- During 2011-12, total annual arrival was 45.04 lakh MT out of which fruit was 21.25 lakh MT and vegetable was 23.80 lakh MT;
- Out of total F&V arrival in Delhi, around 70% is consumed in Delhi & NCR and rest is forwarded to other markets;

Delhi & NCR consume approx. 8500 - 9000 MT of fruits & vegetables daily (as per arrival data as well as per calculation based on NSSO survey).

The on-going amendment process of the Delhi APMC Act provides a unique opening to link farmers & FPOs directly to the 15000 MT/day F&V demand of Delhi. To tap this opportunity in favour of small farmers who are members of FPOs, there is the need to provide a physical platform to offer produce directly to consumers both wholesale & retail. SFAC, therefore, proposes to launch a **Kisan Mandi (KM)** at Delhi to provide FPOs and Growers' Associations (GAs) a platform for direct sale of fruits and vegetables to wholesale and retail buyers in Delhi / NCR.

दिल्ली में प्रस्तावित किसान मंडी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

- किसान मंडी फल और सब्जियों के एक थोक मॉल की तरह कार्य करेगा, जहां विभिन्न एफपीओ/उत्पादक संघों को एसएफएसी द्वारा स्टाल आवंटित किये जाएंगे। प्रत्येक आवंटी को उनके उत्पाद रखने के लिए कोई सूखा और शीत भंडारण स्थान भी प्रदान किया जाएगा।
- स्टालों और भंडारण के लिए किसान मंडी का पूरा क्षेत्र लगभग 25000 वर्ग फीट होगा। किसान मंडी में शीत भंडारण स्थान और अन्य उपयोगिताओं के पारगमन की सुविधा भी होगी।
- लक्षित ग्राहक, संगठित खुदरा व्यापारी, होटल, रेस्तरां और कैटरिंग (HORECA), बड़े विक्रेता, निर्यातक, संसाधक, आरडब्ल्यूए और आम जनता।
- किसान मंडी उन एफपीओ/उत्पादक संघ को भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाओं की पेशकश करेगा जो किसान मंडी में स्टाल स्थापित करेंगे। इसमें बुनियादी गोदाम, शीत गृह के साथ–साथ रसद निपटान सुविधाएं शामिल होंगी।
- एसएफएसी एफपीओ/उत्पादक संघ को फार्म गेट के पास छँटाई, श्रेणीकरण और पैकिंग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि केवल वर्गीकृत और पैक्ड या आधे पैक्ड उत्पाद ही किसान मंडी में उपलब्ध हों।
- किसान मंडी खरीदारों को आकर्षित करने और किसान मंडी ब्रांड का निर्माण करने के लिए प्रचार गतिविधियों, क्रेता–विक्रेता बैठक, प्रचार आदि का आयोजन करेगी।
- ऑनलाइन बिक्री के लिए सशक्त आईसीटी समर्थित मंच, पारदर्शी, मूल्य खोज, रसद ट्रैकिंग आदि विकसित किया जाएगा।

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

(कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार)

एनसीयूआई ऑडिटोरियम बिल्डिंग, 5 वीं मंजिल

3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,

अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016

ई मेल: sfac@nic.in, वेबसाइट: www.sfacindia.com

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

दिल्ली में किसान मंडी

दिल्ली किसान मण्डी

एक परिचय

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य किसानों को निवेशको, प्रौद्योगिकी और बाजार के साथ जोड़ना है। एसएफएसी ने देश भर में 300 से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दिया है। ये निकाय सदस्यों के स्वामित्व वाली मूल स्तर की संस्थाएं है, जो छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करती हैं। थोक और खुदरा उपभोक्ताओं को इन एफपीओ के साथ जोड़ने के लिए, एसएफएसी द्वारा दिल्ली में एक किसान मंडी स्थापित करने की योजना है।

दिल्ली फल और सब्जी का विपणन परिदृश्य

दिल्ली/एनसीआर 2013 में एसएफएसी द्वारा किए गए फल और सब्जियों के अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली में फल और सब्जियों की थोक आपूर्ति की व्यापक संभावनाएं हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के कुछ मुख्य अंश निम्नानुसार हैं।

- दिल्ली की 160 लाख की जनसंख्या और एनसीआर की 60 लाख की जनसंख्या मिलाकर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 220 लाख है।
- दिल्ली के लिए फल और सब्जियों की आपूर्ति का प्रमुख हिस्सा दिल्ली राज्य कृषि विपणन बोर्ड (DSAMB) के विनियमित बाजारों के माध्यम से आयोजित किया जाता है। दिल्ली में पांच विनियमित फल और सब्जी बाजार हैं– आजादपुर, ओखला, केशोपुर, शाहदरा, गाजीपुर।
- फल और सब्जियों का एक छोटा भाग सीधे खुदरा विक्रेताओं, फार्म गेट और स्वयं संग्रह केंद्र से खरीदा जाता है, हालाँकि कुल आवक की तुलना में यह मामूली है।
- दिल्ली के बाजार में उत्पादकों के पास फल और सब्जियों के प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ाने के लिए कोई संगठित प्रणाली नहीं है।
- औसतन दिल्ली रोज 11000–13000 मीट्रिक टन फल और सब्जी प्राप्त करती है।
- कुल आवक में फलों और सब्जियों की प्रत्येक हिस्सेदारी लगभग 50% होती है।
- 2011–12 के दौरान, कुल वार्षिक आवक 45.04 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें से फल 21.25 लाख मीट्रिक टन थे और सब्जियां 23.80 लाख मीट्रिक टन थी।
- दिल्ली में कुल फल और सब्जियों के आवक का लगभग 70% दिल्ली और एनसीआर में सेवन किया जाता है और बाकी अन्य बाजारों को अग्रेषित किया जाता है।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 8500–9000 मीट्रिक टन फल और सब्जियों की खपत होती है (आवक डेटा के साथ साथ एनएसएसओ सर्वेक्षण पर आधारित गणना के अनुसार)।

दिल्ली एपीएमसी की अविरत संशोधन प्रक्रिया के अधिनियम के अनुसार फल और सब्जियों की 15000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की दिल्ली की मांग को पूरा करने के लिए किसानों और एफपीओ को सीधे जोड़ने का एक अनूठा रास्ता प्रदान करती है। छोटे किसान जो एफपीओ के सदस्य हैं, के पक्ष में इस अवसर का दोहन करने के लिए, दोनों थोक और खुदरा उपभोक्ताओं को उत्पाद की सीधी पेशकश करने के लिए एक भौतिक मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए, एसएफएसी ने दिल्ली एनसीआर में थोक और खुदरा खरीदारों के लिए फल और सब्जियों की प्रत्यक्ष बिक्री के लिए एफपीओ और उत्पादकों संघों को एक मंच प्रदान करने के लिए दिल्ली में एक किसान मंडी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली में किसान मंडी की सितंबर 2014 तक शुरूआत होने की उम्मीद है।